प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बावन'

[9/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2045]

परिशिष्ट - 31

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी सेन्ट्रल कोतवाली जिला इन्दौर (म0प्र0)

विषय :- नवीन क्रीडा खेल परिसर आदिवासी बालक छात्रावास, चिमनबाग, इन्दौर की जांच के संबंध में

संदर्भ :- आपके द्वारा दिये गये निर्देश के पालन में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित निर्देश के पालन मे निवेदन है कि "नवीन क्रीडा खेल परिसर आदिवासी बालक छात्रावास, चिमनबाग, इन्दौर" के छात्रों द्वारा भोजन एंव अन्य शिकायत के संबंध मे मेरे द्वारा तहसीलदार सेन्ट्रल कोतवाली के साथ दिनांक 11.11.2016 को प्रातः 10:30 बजे छात्रावास जाकर निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास इन्दौर श्रीमती श्रीवास्तव भी उपस्थित थी निरीक्षण की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है:

छात्रों द्वारा बताया गया की उन्हें नाश्ते में, दोपहर एंव रात्रि के भोजन में निर्धारित मिनू अनुसार भोजन नही दिया जाता है, दूध की मात्रा भी कम दी जाती है, साथ ही भोजन की गुणवत्ता भी ठीक नही है। रोटी जली हुई, दाल जली हुई दी जाती है। जांच मे पाया की छात्रावास मे बच्चों के प्रतिदिवस भोजन के संबंध में मिनू निर्धारित किया हुआ है। जिसमें छात्रों द्वारा बताया की प्रातः मिनू अनुसार निम्बु पानी नहीं दिया जाता है, साथ ही नाश्ते में मिनू अनुसार ब्रेड बटर कार्नफ्लेक्स नही दिया जाता है। दोपहर के भोजन मे दही, सलाद, नही दिया जाता है साथ ही रात्रि के भोजन में पनीर एंव मिठाई नही दी जाती है। नियामानुसार प्रातः नाश्तें में 300 एम.एल एंव रात्रि में सोते समय 300 एम एल दूध देने का प्रावधान है जबकि बच्चों द्वारा बताया की उन्हें प्रातः नाश्ते में लगभग 200 एम एल एंव रात्रि में सोते वक्त 100 एम एल दूध दिया जाता है जो की निर्धारित मिनू से प्रतिछात्र 300 एम एल कम है। इस संबध मे उपस्थित छात्रावास अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार मस्तकर द्वारा जानकारी ली गई किन्तु वे इस संबंध मे स्थिति स्पष्ट नही कर सकें तथा बताया की उनके द्वारा आज से निर्धारित मिनू अनुसार बच्चों को भोजन दिया जावेगा।

श्री मस्तकर पिछले एक माह से छात्रावास अधीक्षक के पद पर है एंव छात्रों को निर्धारित मिनू आनुसार भोजन नहीं दिया जाना उनकी लापरवाही को दर्शाता है जिनके विरूद्ध कार्यवाही आवश्यक है साथ ही निरीक्षण के मध्य में ही अधीक्षक श्री मस्तकर छात्रावास से चले गये तथा उन्हे सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु उनके द्वारा मोबाईल बंद कर लिया गया एव वे उपस्थित नही हुए श्री मस्तकर का उक्त व्यवहार निश्चित तौर पर वरिष्ठ अधिकारीयों की अवेहलना एव कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

.....2

सहायक संचालक
कृ. आयुक्त आदिवासी विकास,
म. प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग

[illegible] पाया गया कि [illegible]
[illegible] ... व छीपकली
[illegible] निरीक्षण नहीं किया
[illegible] खाद्य सामग्रीयों [illegible] बच्चों के स्वास्थ्य
[illegible]

[illegible] कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि छात्रावास में [illegible] शिक्षक श्री शरदचंद शास्त्री है छात्रों द्वारा बताया गया कि [illegible] बच्चों को किसी प्रकार का [illegible] मात्र उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर [illegible] गायब हो जाते है। श्री शास्त्री को मोबाईल [illegible] संपर्क किया गया उनके द्वारा बताया गया की [illegible] परिवार मे गमी की वजह से आज अनुपस्थित है किन्तु छात्रावास में उनका कोई भी अवकाश संबंधी आवेदन नहीं पाया गया समस्त [illegible] की शिकायत [illegible] यह स्पष्ट है कि श्री शास्त्री [illegible] शासकीय कार्यो का निर्वहन नहीं कर रहे [illegible] अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

[illegible] द्वारा इस आशय की शिकायत की गई की छात्रावास में कुल [illegible] छात्र है एवं परिसर मे मात्र [illegible] ही [illegible] है जिससे प्रात: काफी असुविधा होती है। परिसर में छः शौचालय निर्माणाधीन है [illegible] पिछले [illegible] माह से निर्माणाधीन है। इस संबंध मे ठेकेदार आशीष [illegible] को दुरभाष पर निर्देश दिये गये कि 10 दिन के भीतर इस का निर्माण कार्य पूर्ण करे अन्यथा कार्यवाही की जावेगी ।

- छात्रों द्वारा बताया गया कि उन्हें खेलने के लिऐ कोई खेल सामग्री नहीं है। इस संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अधिकारी को सामग्री उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

[illegible] छात्रावास सौ बिस्तरों का है किन्तु वर्तमान में अस्सी बिस्तर है एंव एक बिस्तर पर दो छात्र [illegible] है जबके छात्रावास मे कई अन्य पलग भी पाए गये तथा प्रत्येक कक्ष मे अतिरिक्त बिस्तर [illegible] की गुंजाईश पाई गई । सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अधिकारी श्रीमती श्रीवास्तव को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध पलगों कि मरम्त कर [illegible] के उपयोग में लाऐं।

- उपरोक्त अनुसार निरीक्षण मे अनियमितता पाये जाने पर मेरे द्वारा मेरे [illegible] का एवं तहसीलदार का मोबाईल नंबर छात्रों को दिया गया एंव किसी भी प्रकार कि समस्या होने पर तुरंत संपर्क करने को कहा गया।

उपरोक्त अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि छात्रावास शहर के मध्य स्थित है छात्रों की सुविधाओं का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए चाहिये कि सहायक आयुक्त अदिवासी विकास अधिकारी एंव उनका अधिनस्थ स्टाफ उक्त छात्रावास के साथ ही अन्य छात्रावासो का भी सतत निरीक्षण करें व छात्रों की सुविधाओं का ध्यान रखे।

अत: प्रतिवेदन श्रीमान की और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- पंचनामा

तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी 11/11/16
सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्र, इन्दौर	सेन्ट्रल कोतवाली क्षेत्र, इन्दौर

Attested

सहायक संचालक
आयुक्त आदिवासी विकास,
म. प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग